(हल्द्वानी)

ईमेल-cfontl.ukfs@gmail.com,

पत्रांकः— सी०एफ०ओ०—न—६(इ०) / २०२२ सेवा में

दिनांक—जनवरी 💪 ,2023

Owner/Manager, THE PANTHEON SCHOOL, HAIDAKHAN MANDIR ROAD, KATHGHARIYA HALDWANI, DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND.

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0—75533879 दिनांक:—01.01.2023 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:02.01.2023 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा THE PANTHEON SCHOOL, HAIDAKHAN MANDIR ROAD, KATHGHARIYA HALDWANI, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से किये गये निरीक्षण के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1.परिसर में अण्ड़र ग्राउन्ड़ रिजर्व वाटर टैंक 10 हजार लीटर क्षमता, ओवर हैड़ रिजर्व वाटर टैंक 05 हजार लीटर क्षमता एवं **01 अदद** 05 एच0पी पम्प का प्राविधान किया गया है।

2.संस्थान परिसर में 11 अदद् ए०बी०सी० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-04 किग्रा क्षमता, 01 अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता एवं 01 अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

2. संस्थान / परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेगे।

3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।

4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रकिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।

5. विद्युत स्विच बोर्ड / विद्युत पैनल के आस-पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जायेंगी।

6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रू० प्रति फायर एक्सटिंयूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैड ००७० अन्य प्रशासनिक सेवाएं ६० अन्य सेवाये , १०० अग्नि से संरक्षण एव नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापित्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व—घोषणा प्रमाण—पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण / कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा। अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश / सुझाव तथा शर्तो का पालन किए जाने की दशा में एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक—न— / फा०स० / 2021 के आधार पर THE PANTHEON SCHOOL, HAIDAKHAN MANDIR ROAD, KATHGHARIYA HALDWANI, को दिनांक-06 जनवरी 2023 से 05 जनवरी 2026 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसूरक्षा द्विष्टिकोण से इस

कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

6.1.23